# <u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 585 / 13</u> संस्थापन दिनांक:-10 / 12 / 13 फाईलिंग नं. 233504000322013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

#### वि रू द्व

- सुधाकर पिता चिन्दया ठाकरे, उम्र 27 वर्ष, निवासी ससुंद्रा थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 2. तेजप्रकाश पिता कैलाश सूर्यवंशी, उम्र 21 वर्ष, निवासी छिपन्या, थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

# <u>-: (निर्णय):-</u>

## (आज दिनांक 03.04.2017 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323/34(दो बार), 341, 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 09.11.2013 को समय दोपहर 01:25 बजे या उसके लगभग नाहिया से अम्बाड़ा के बीच रोड थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी सरवन और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी सरवन व राकेश को स्वेच्छया उपहित कारित करने का आशय निर्मित कर उसकी पूर्ति में फरियादी सरवन को पत्थर से तथा राकेश को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को सदोष अवरूद्ध किया तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 09.11. 2013 को द्रक क. एमपी—48—एच—0915 में सीमेंट लेकर बैतूल से बोरदेही जाने के लिए द्रक पर ज्ञायवरी करते हुए आ रहा था। जैसे ही द्रक पंखा से बोड़खी तरफ आ रहा था तभी नाहिया रोड से जैसवाल बस क. एमपी—48—पी—0207 का चालक ने उसके जाने का रास्ता रोक लिया और बस का ज्ञायवर सुधाकर उत्तरकर उसे गाली गुप्तार करने लगा। इसके बाद बस का कंडेक्टर तेजप्रकाश उत्तरकर आया और दोनों ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। अभियुक्त

तेजप्रकाश ने हाथ में पत्थर लेकर उसके सिर के पीछे तरफ मारा जिससे उसे चोट लगकर खून निकला। अभियुक्तगण ने उसके द्रक के हेल्पर राकेश के साथ हाथ थप्पड़ से मारपीट की। अभियुक्तगण ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना आमला में अपराध क. 435/13 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया, मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

### 4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
- 2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
- 3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
- 4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादीगण के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
- 5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी सरवन को पत्थर से एवं राकेश को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
- 7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को सदोष अवरूद्ध किया ?
- 8. क्या अभियुक्तगण ने फिरयादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था?
- निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

## ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

#### विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 08 का निराकरण

5 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी अथवा अन्य को क्षोभ कारित करने एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा—294, 506 भाग—दो भा0दं०सं० के आरोप प्रमाणित नहीं माने जा सकते।

#### विचारणीय प्रश्न क. 04, 05, 06, 07 का निराकरण

- 6 सरवन (अ.सा.—4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि उसके घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और उसे यह भी याद नहीं है कि उसने थाने में रिपोर्ट की थी या नहीं। राकेश (अ.सा.—2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह अभियुक्तगण को न नाम से जानता है और न ही चेहरे से पहचानता है क्योंकि उसने कभी अभियुक्तगण को देखा ही नहीं है और साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके साथ अभियुक्तगण के द्वारा कोई मारपीट नहीं की गयी थी। दिनेश (अ.सा.—3) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि उसके समक्ष कोई घटना घटित नहीं हुई थी और न ही वह मौके पर था। उसे पुलिस ने यह बताया था कि ज्ञायवरों की बीच विवाद हुआ है और सरवन के सिर पर चोट आयी है। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं।
- उडा. एन.के. रोहित (अ.सा.—4) ने उसके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि उसने दिनांक 09.11.2013 को सीएचसी आमला में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत सरवन एवं राकेश का परीक्षण किये जाने पर आहत सरवन आहत के सिर के पीछे तरफ 3 गुणा 2 गुणा 1 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव तथा आहत राकेश के उपरी ओट पर बांयी तरफ सूजन तथा उसके पेटएवं पीठ में दर्द पाया था। साक्षी ने आहतगण को आयी चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए उसके द्वारा तैयार चिकित्सकीय प्रतिवेदन प्रदर्श पी—1 एवं प्रदर्श पी—2 को प्रमाणित किया है।
- 8 साक्षी सरवन (अ.सा.—4) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण के द्वारा उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गयी थी और न ही उसका रास्ता अभियुक्तगण के द्वारा रोका गया था। दिनेश (अ.सा.—3) ने भी प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और न ही कभी उससे इस संबंध में पूछताछ की गयी थी।

9 साक्षी सरवन (अ.सा.—4) जो कि फरियादी होने के साथ ही आहत भी है, ने अभियुक्तगण द्वारा कोई मारपीट न किया जाना बताया है। साथ ही साक्षी राकेश (अ.सा.—2) जो भी इस प्रकरण का आहत है, ने भी अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने से इनकार किया है। इस प्रकार प्रकरण में फरियादी एवं आहतगण के द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है एवं उन्होंने अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ मारपीट किये जाने से इनकार किया गया है। अभिलेख पर अभियुक्तगण पर कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

## विचारणीय प्रश्न क. 09 का निराकरण

10 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी सरवन और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी सरवन व राकेश को स्वेच्छया उपहित कारित करने का आशय निर्मित कर उसकी पूर्ति में फरियादी सरवन को पत्थर से तथा राकेश को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं फरियादी को सदोष अवरूद्ध किया तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त सुधाकर एवं तेजप्रकाश को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323/34(दो बार), 341, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 11 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 12 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)